

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-02-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : मुंगावली

जिला : अशोकनगर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. मूल ग्राम—बरवाह 02. नवीन ग्राम—माधौपुर प.ह.नं. 46.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर.

तहसील : ईसागढ़

जिला : अशोकनगर

02.	01. मूल ग्राम—मामौन 02. नवीन ग्राम—आमोला प.ह.नं. 49.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर.
03.	01. मूल ग्राम—छपरा 02. नवीन ग्राम—बुडैरा प.ह.नं. 40.	
04.	01. मूल ग्राम—ढाकोनी 02. नवीन ग्राम—डेलकावर 03. नवीन ग्राम—छत्तरपुर प.ह.नं. 57.	

तहसील : चन्देरी

जिला: अशोकनगर

05.	01. मूल ग्राम—सुरैल 02. नवीन ग्राम—नीमखेड़ा प.ह.नं. 21.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर.
06.	01. मूल ग्राम—जारसल 02. नवीन ग्राम—चक्कजारसल प.ह.नं. 40.	
07.	01. मूल ग्राम—बडैरा 02. नवीन ग्राम—चक्क बडैरा प.ह.नं. 09.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-02-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-02-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-02-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Maungavali

District : Ashoknagar

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	01. Org. Vill.—Barwah 02. New Vill.—Madhopur P.H.No.—46.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar.

Tahsil : Isagarh

District : Ashoknagar

02.	01. Org. Vill.—Mamon 02. New Vill.—Amola P.H.No.—49.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar.
03.	01. Org. Vill.—Chapra 02. New Vill.—Budera P.H.No.—40.	

04.	01. Org. Vill.—Dhakoni 02. New Vill.—Delkavar 03. New Vill.—Chattarpur P.H.No.—57.	
-----	---	--

Tahsil : Chanderi

District : Ashoknagar

05.	01. Org. Vill.—Surel 02. New Vill.—Neemkheda P.H.No.—21.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar.
-----	--	---

(1)	(2)	(3)
06. 01. Org. Vill.—Jarsal	Superintendent of Land	
02. New Vill.—Jarsal Chhak	Records (permanent),	
P.H.No.—40.	District—Ashoknagar.	
07. 01. Org. Vill.—Badera		
02. New Vill.—Badera Chhak		
P.H.No.—09.		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-03-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : बुरहानपुर

जिला : बुरहानपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. मूल ग्राम—बिरोदा	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—भोलाना	(नियमित) जिला बुरहानपुर.
	प.ह.नं. 01.	
02.	01. मूल ग्राम—बोरागांवखुर्द	
	02. नवीन ग्राम—गारबर्डी	
	प.ह.नं. 09.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-03-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-03-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-03-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil : Burhanpur

District : Burhanpur

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01. 01. Org. Vill.—Biroda	Superintendent of Land	
02. New Vill.—Bholana	Records (permanent),	
P.H.No.—01.	District—Burhanpur.	
02. 01. Org. Vill.—Borgoan Khurd		
02. New Vill.—Garbardi		
P.H.No.—09.		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-04-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : श्योपुर

जिला : श्योपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. मूल ग्राम—बगदिया	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—माधो	(नियमित) जिला श्योपुर.
	का डेरा.	
	03. नवीन ग्राम—दीवानचंद	
	का डेरा.	
	04. नवीन ग्राम—तिल्ली डेरा	
	प.ह.नं. 04.	